राज्य में बाल कल्याण एवं बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

परिकल्पना-
श्रीमती शैली किशनानी, IAS
अतिरिक्त महानिदेशक,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

मार्गदर्शन-
श्रीमती राजेश यादव, IAS (Rted.)
वरिष्ठ सदस्य,
बाल सदंर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

संपादन
श्री राजकुमार पालीवाल
कार्यक्रम अधिकारी-क्षमतावर्धन,
बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

लेखन-
श्री अभिषेक तिवारी
कार्यक्रम सहायक,
बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

प्रकाशन - 2025
बाल संदर्भ केन्द्र, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

मुद्रण एवं सहयोग-
सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

आवश्यक सूचना-
भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण एवं विकास से संबंधित संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में हितधारकों एवं जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से बाल संदर्भ केन्द्र द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में आवासरत बच्चों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। कृपया इस पुस्तिका का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें। इस पुस्तिका में उपयोग किए गये फोटोग्राफ्स/चित्र काल्पनिक हैं।

प्रस्तावना

भारत विश्व में बच्चों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में सम्मिलित हैं, जनगणना, 2011 के अनुसार बच्चे हमारे देश की कुल आबादी की 39 फीसदी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते है। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चे राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपदा हैं तथा सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का प्राथमिक दायित्व है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस अनुच्छेद में राज्य से अपेक्षा की गई है, कि वह बालकों को शोषण एवं उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराए। संविधान में उक्त प्रावधानों का मूल उद्देश्य, देश के कल को सुरक्षित एवं सक्षम बनाना है।

राजस्थान की लगभग 41 फीसदी जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों तथा विषमता के कारण बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र विकास में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं। राज्य सरकार द्वारा अनाथ, दिव्यांग, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों तथा हाशिये पर मौजूद समुदायों के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास के समान अवसर प्रदान करने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सहित विभिन्न प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण एवं समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें पालनहार योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, आपकी बेटी योजना, मिशन वात्सल्य, बाल मित्र योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि प्रमुख हैं। इन योजनाओं के प्रवर्तित रहते हुये भी जन जागरूकता एवं योजनाओं के ज्ञान के अभाव में उक्त योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

बाल सन्दर्भ केंद्र, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा राज्य में बाल कल्याण से सम्बंधित विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संकलित करते हुए बालक-बालिकाओं, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों सहित जन सामान्य को उक्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सरल भाषा में इस पुस्तिका को तैयार किया गया है।

अनुक्रमणिका

S.No.	विभाग एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाएं	पेज संख्या
1.	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**	
I.	पालनहार योजना	1-2
II.	मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना	2-4
III.	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	4-5
IV.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	5-6
V.	देवनारायण छात्रावास सुविधा योजना	7
VI.	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	8
VII.	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	8-9
VIII.	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	9-10
IX.	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	10-11
X.	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	11
XI.	डॉ. अम्बेडकर DNTS उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	12
XII.	मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना	12-13
XIII.	विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना	13-14
2.	**शिक्षा विभाग**	
I.	आपकी बेटी योजना	15
II.	कस्तूरबा गाँधी बालिका (आवासीय) विद्यालय योजना (KGBV)	16
III.	विदेश में अध्ययनरत योजना	17
IV.	इंस्पायर्ड अवार्ड योजना	18
V.	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना	18-20
VI.	इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना	20
VII.	बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	20-21
VIII.	गार्गी पुरस्कार	21-22

S.No.	विभाग एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाएं	पेज संख्या
3.	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	
I.	बालिका संबल योजना	23-24
II.	प्रेरणा योजना	24
III.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)	24-26
4.	**बाल अधिकारिता विभाग**	
I.	**मिशन वात्सल्य**	27-29
	i. संस्थागत देखरेख सेवाएं (बाल देखरेख संस्थान)	27-28
	ii. गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं (बाल देखरेख संस्थान)	28
II.	**बाल मित्र योजना**	29-30
5.	**महिला एवं बाल विकास विभाग**	
I.	**मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना**	31-35
	i. राजस्थान स्टेट - सर्टिफिकेट इन इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी - (RS-CIT)	31-32
	ii. राजस्थान स्टेट - सर्टिफिकेट इन फाइनैन्शिअल अकाउंटिंग - (RS-CFA)	32-33
	iii. राजस्थान स्टेट - सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट- (RS-CSEP)	33-35
II.	**कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना**	35-36
III.	**लाडो प्रोत्साहन योजना**	36-37
IV.	**कालीबाई भील उड़ान योजना**	37-38
6.	**गृह विभाग**	
I.	राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना	39-40
7.	**श्रम एवं नियोजन विभाग**	
I.	शुभ शक्ति योजना	41-42
II.	निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना	42-44

1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बच्चों के लिए संचालित योजनाएं

I. पालनहार योजना

योजना का उद्देश्य: -

राज्य के अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण की श्रेणियों में आने वाले बालक/बालिकाओं को परिवार के ही भीतर समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये निकटतम रिश्तेदार, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पालनहार योजना संचालित है।

पात्रता: -

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
3. पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे (एक समय में अधिकतम 3 बच्चे)
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
7. नाता जाने वाली माता के बच्चे (एक समय में अधिकतम 3 बच्चे)
8. विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे
9. पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
10. सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे

योजनान्तर्गत लाभ: -

- अनाथ श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु - 1500 रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु - 2500 रुपये प्रतिमाह (3 वर्ष पश्चात आंगनबाड़ी/विद्यालय जाना अनिवार्य)
- अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु - 750 रुपये प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु - 1500 रुपये प्रतिमाह (3 वर्ष पश्चात आंगनबाड़ी/विद्यालय जाना अनिवार्य)
- वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु - 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

आवेदन कैसे करें?: -

- ई-मित्र कियोस्क केन्द्र के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें।

- योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- अनाथ बच्चों के प्रकरणों माता-पिता/पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (जिसमें बच्चों का पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित हो)।
- न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों के प्रकरणों में दण्डादेश आदेश की प्रति।
- निराश्रित विधवा पेंशन योजना से लाभान्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ) एवं पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति।
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता का पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र।
- नाते जाने वाली माता के बच्चों के प्रकरण में नाते गये एक वर्ष से अधिक का प्रमाण-पत्र (संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम द्वारा जारी)
- एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी में पंजीयन का प्रमाण-पत्र (ए.आर.टी डायरी या ग्रीन डायरी की प्रतिलिपि)।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति के समक्ष चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
- विकलांग माता-पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति के समक्ष चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
- तलाकशुदा महिला के संबंध में न्यायालय का आदेश/डिग्री/तलाकनामा स्वयं के शपथ एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति।
- परित्यक्ता महिला जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही है, एवं पति से कोई संबंध नहीं है, के प्रमाण-पत्र की प्रति।
- 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी एवं 6-18 वर्ष तक विद्यालय में अध्ययनरत का प्रमाण-पत्र।
- बैंक खाता की पासबुक।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।
- पालनहार का फोटो एवं बच्चों का फोटो।

II. मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना

योजना का उद्देश्य: -

1. राज्य के ऐसे बालक/बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के प्रावधान को सुनिश्चित करना।
2. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे बालक / बालिका एवं उनके परिवारों को समय पर पात्रतानुसार निरन्तर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें सम्बल प्रदान करना।

पात्रता एवं शर्तें: -

1. बालक/बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

2. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो, का प्रमाण पत्र। (जनाधार से प्रमाणीकरण होने पर पृथक से इन दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।)
3. योजनान्तर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाणन के आधार पर ऐसे बालक / बालिका आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
4. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक / बालिका योजनान्तर्गत वर्णित अनुदान/आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत् लाभ के पात्र हो सकेंगे।
5. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक/बालिका को देय आर्थिक सहायता निम्नांकित परिस्थितियों में निरस्त की जा सकेगी-
   I. बालक/बालिका का उक्त बीमारी से स्थायी रूप से ठीक हो जाने की स्थिति में।
   II. बालक/बालिका की मृत्यु होने की स्थिति में।
6. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक/बालिका के माता-पिता/पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी।

पालनकर्ता की मृत्यु या बालक के परित्याग की स्थिति में पालनकर्ता को बदलने की प्रक्रिया : -

1. पालनकर्ता की मृत्यु या बालक / बालिका का परित्याग की जाने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा नवीन पालनकर्ता (परिवार के निकटतम संबंधी को नियुक्त किया जा सकेगा।
2. नवीन पालनकर्ता नियुक्त किए जाने हेतु जिलाधिकारी के स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवीन पालनकर्ता नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए बालक /बालिका का नाम नवीन पालनकर्ता के जनाधार में जुड़वाना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर पालनकर्ता की वांछित जानकारी / सूचना जनाधार नंबर के माध्यम से अद्यतन की जाएगी।
3. पालनकर्ता की मृत्यु या बालक /बालिका का परित्याग किए जाने की स्थिति में नवीन पालनकर्ता को दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों हेतु स्वीकृत एवं किसी कारण से अंतरित राशि नवीन पालनकर्ता को दी जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी: -

1. योजनान्तर्गत दुर्लभ बीमारी के प्रमाणन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर में पदस्थापित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी अधिकृत होंगे।
2. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के प्रमाणन करने के सम्बन्ध में दुर्लभ बीमारी के प्रमाणन हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर एवं जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर के सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता/ अनुदान एवं शर्तें: -

1. दुर्लभ बीमारी से पीड़ितों को आर्थिक सहायता/अनुदान उपलब्ध कराने के लिये दुर्लभ बीमारी निधि का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन गठन किया जायेगा। इस निधि में राज्य सरकार से अनुदान, क्राउड-फण्डिंग, दान दाताओं से प्राप्त राशि एवं CSR से प्राप्त राशि को जमा किया जा सकेगा।
2. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक/बालिका को ₹ 50 लाख तक का उपचार निधि से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इस वित्तीय सीमा को क्राउड-फण्डिंग से प्राप्त राशि की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा। इस हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दुर्लभ बीमारी निधि से चिकित्सा शिक्षा विभाग / Centre of Excellence को उपचार व्यय की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा।
3. दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक/बालिका को 5 हजार रू. प्रतिमाह / प्रति बालक/बालिका दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा।
4. पालनकर्ता की मृत्यु या बालक/बालिका को परित्याग किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा तीन माह के भीतर नवीन पालनकर्ता को नियुक्त करना होगा एवं नवीन पालनकर्ता को लम्बित स्वीकृत राशि जारी की जाएगी\।

5. आर्थिक अनुदान / सहायता राशि GoI/GoR द्वारा घोषित Centre of Excellence में ही उपचार प्राप्त करने अथवा प्रमाणित करने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

आवेदन कैसे करें?: -

1. पालनकर्ता द्वारा बालक / बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में जनआधार नम्बर से ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से ऑनलाइन आवेदन करें ।
2. आवेदनकर्ता एवं बालक/बालिका की सामान्य / पारिवारिक जानकारी आधार एवं जनाधार पोर्टल से प्राप्त की जाएगी एवं जो वांछित सूचना/दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
3. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने पर जनआधार में उपलब्ध/अंकित जिले के आधार पर स्वतः ही आवेदन सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की आईडी पर अग्रेषित/प्रदर्शित होगा।
4. पालनकर्ता द्वारा स्वयं एवं बालक/बालिका के जीवित होने का वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष माह नवम्बर-दिसम्बर में ई-मित्र अथवा ब्लॉक / जिला कार्यालय के माध्यम से करवाना अनिवार्य होगा।

भुगतान: -

1. आवेदन पत्र में बालक /बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाणन के पश्चात पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होगी।
2. पोर्टल पर जारी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में ई-बिल संबंधित प्रभारी अधिकारी के ई-साइन विधि अथवा सर्वर सर्टिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध बजट के आधार पर हर महीने की निश्चित तारीख (यथा- संभव हर महीने की तीसरी तारीख को) केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वतः तैयार बिल द्वारा अनुदान / आर्थिक सहायता का भुगतान पालनकर्ता के जनाधार में दर्ज बैंक खाते में डी. बी. टी. के माध्यम से किया जाएगा।

III. मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

योजना का उद्देश्य: -

I. राज्य सरकार की पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित बालक/ बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण/तकनीकी कौशल विकास व तकनीकी/ उच्च शिक्षा उपलब्ध करना।
II. संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण/ तकनीकी कौशल विकास व तकनीकी/ उच्च शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत ऐसे बालक /बालिकाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं व संभावित उपार्जन हेतु विभाग द्वारा सर्वोत्तम प्रयास करना।

पात्रता: -

- पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बालक / बालिका, जिनकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
- योजनान्तर्गत लाभान्वित बालक/ बालिका की अधिकतम आयु 21 वर्ष अथवा संबंधित कोर्स / कार्यक्रम पूर्ण होने तक सीमित होगी।

योजनान्तर्गत लाभ: -

व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण: बालक/बालिका को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा: बालक/बालिका को उनकी योग्यता एवं इच्छित रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जायेगी।
स्वरोजगार/व्यवसाय: बालक/बालिका को स्वरोजगार/व्यवसाय हेतु दो किस्तों (प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत एवं द्वितीय किस्त में शेष राशि) में राशि प्रदान की जायेगी।

आवेदन कैसे करें? : -

पालनहार् योजनान्तर्गत लाभार्थी बालक/बालिका संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- उम्र का प्रमाण-पत्र (स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 10 वीं अंक तालिका की प्रति / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड/मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित उम्र प्रमाण पत्र)
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु सम्बन्धित संस्थान द्वारा जारी कोर्स का प्रवेश पत्र की प्रति।
- उद्योग स्थापित करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र / उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
- पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण-पत्र।
- बैंक खाता की पासबुक प्रति।

IV. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

योजना का उद्देश्य: -

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा स्वयं महिला खिलाड़ियों हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रता: -

- योजनान्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
- योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
- योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान पात्रता निम्नानुसार होगी:-
  (अ) महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।
  (ब) विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से ₹ 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं हो।
  (स) परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।
- ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियमों में वर्णित पात्रता धारक विधवा है।

- ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य आय ₹50,000/- वार्षिक से अधिक नहीं है।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार वर्ग की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर कन्याओं के विवाह पर हथलेवा राशि ₹31000/- एवं प्रोत्साहन राशि ₹10 हजार (दसवीं पास कन्या) तथा ₹20,000/- (स्नातक पास कन्या) सहायता राशि देय होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर हथलेवा राशि ₹21,000/- एवं प्रोत्साहन राशि ₹10,000/- (दसवीं पास कन्या) तथा ₹20,000/- (स्नातक पास कन्या) सहायता राशि देय होगा।
- विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर हथलेवा राशि ₹21,000/- एवं प्रोत्साहन राशि ₹10,000/- (दसवीं पास कन्या) तथा ₹20,000/- (स्नातक पास कन्या) सहायता राशि देय होगा।
- महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर हथलेवा राशि ₹21,000/- एवं प्रोत्साहन राशि ₹10,000/- (दसवीं पास कन्या) तथा ₹20,000/- (स्नातक पास कन्या) सहायता राशि देय होगा।
- पालनहार में लाभार्थी वे कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर हथलेवा राशि ₹21,000/- एवं ₹10,000/- (दसवीं पास कन्या) तथा ₹ 20,000/- (स्नातक पास कन्या) सहायता राशि देय होगा।

आवेदन कैसे करें?: -

- विवाह तिथि से एक माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन या विवाह तिथि के छ: माह तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के आवेदक को बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्व:प्रमाणित छाया प्रति तथा चयनित सूची क्रमांक के साथ-साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- महिला खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ-साथ आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की विवाह योग्य बालिकाओं के विवाह पर पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- उम्र संबंधी दस्तावेज।
- बी.पी.एल कार्ड की प्रति।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।
- फोटो।

V. देवनारायण छात्रावास सुविधा योजना

योजना का उद्देश्य: -

- राज्य के पिछड़े वर्गों के बच्चों में शिक्षा के आयाम को बेहतर एवं शिक्षा को बढ़ावा देना।

पात्रता: -

- उत्तम चरित्र के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी।
- छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
- छात्रावास में कक्षा 6 से 12 के ही छात्र प्रवेश ले सकेंगे।
- महिला विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय स्तर के छात्रावास जिला स्तर पर संचालित है।
- गत वर्ष छात्रावास में रहे छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के अधिकतम 7 दिनों में छात्रावास में उपस्थित होने पर उसे छात्रावास में नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- प्राप्त आवेदनों में वरीयता 5 किलोमीटर परिधि के बाहर के पात्र छात्र-छात्राओं को दी जायेगी।
- विभाग के द्वारा चलाए जा रहे राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के नवीन प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता आरक्षित वर्ग के बी.पी.एल./ अन्त्योदय परिवारों के पुत्र-पुत्रियों की रहेगी।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली, पानी आदि के लिए-1750 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से व्यय का प्रावधान है।
- यह राशि 9 माह 15 दिन के लिये दी जाती है।
- कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिये कठिन विषयों में कोचिंग हेतु अधिकतम तीन माह के लिए ₹1,000/- प्रति विषय प्रति माह की दर से राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
- कक्षा 12 के लिये वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन विषयों में तीन माह के लिए विशेष कोचिंग दिलवाये जाने की व्यवस्था है।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- छात्रावास में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी द्वारा जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज: -

- मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- दो फोटो।

VI. अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

इस योजना के तहत उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाती के विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है, जिसमे सबसे गरीब परिवारों के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके तथा उन्हे मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

पात्रता: -

- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति का हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा के माता-पिता / पति-पत्नी / संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।

VII. अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

इस योजना का उद्देश्य उत्तर मैट्रिक या उत्तर सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

पात्रता: -

- छात्र/छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति का हो।
- छात्र/छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता/ पति-पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non- Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ई-मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ. पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं फीस की रसीद की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।

VIII. विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

योजना का उद्देश्य: -

इस योजना का उद्देश्य उत्तर मैट्रिक या उत्तर सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन कर रहे विशेष पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

पात्रता: -

- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा विशेष पिछड़ा वर्ग की सम्मिलित जाति का हो।
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नी/ संरक्षक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ई-मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- विशेष पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।

- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं फीस की रसीद की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।

IX. अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।

पात्रता:-

- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/ पति-पत्नी / संरक्षक की वार्षिक आय ₹1.50 लाख तक हो।
- केवल वे ही उम्मीदवार, जो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हो जहां का आवेदक वास्तविक रूप से संबंधित है अर्थात् स्थायी रूप से बस गया हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या कोई उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा या कोई उच्चत्तर परीक्षा पास कर ली हो, इसके पात्र होंगे।
- ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे, उदाहरणार्थ इन्टर आर्ट्स करने के बाद इन्टरसाइन्स करने लगे या बी.ए. के बाद बी कॉम करने लगे या एक विषय में एम.ए. करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम.ए. करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे।
- ऐसे छात्र जो किसी एक व्यावसायिक क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता पूर्ण कर लिए हैं, जैसे बी.टी./बी.एड के बाद एल.एल.बी. करने लगे, इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
- निरन्तर स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण उच्चतर माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम की ग्यारहवीं कक्षा में या बहुउद्देशीय उच्च विद्यालय की ही बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे। तथापि, उन मामलों में, जिनमें ऐसे पाठ्यक्रमों को दसवीं कक्षा की परीक्षा मैट्रिक के समकक्ष मानी जाती हो और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जाएगा और वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

योजनान्तर्गत लाभ: -

पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि में निर्वाह भत्ता, दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक प्रभार, अनिवार्य अप्रतिदेय फीस की प्रतिपूर्ति, अध्ययन दौरा प्रभार / शोधकार्य का टंकण/मुद्रण प्रभार तथा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता शामिल है।

आवेदन कैसे करें?: -

- ई-मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति ।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं फीस की रसीद की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।

X. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

पिछड़े वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देना।

पात्रता: -

- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो।
- छात्र-छात्रा आरक्षित वर्ग की जातियों (SC, ST, OBC, SBC and DNTs) के अतिरिक्त सामान्य जातियों का हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा के माता-पिता / पति-पत्नी / संरक्षक की वार्षिक आय ₹1.00 लाख तक हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ई-मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- जाति प्रमाण-पत्र।
- आधार कार्ड की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं फीस की रसीद की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।

XI. डॉ. अम्बेडकर DNTS उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

पिछड़े वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देना।

पात्रता: -

- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र-छात्रा DNTS (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) के अतिरिक्त जातियों का हो।
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/ पति-पत्नी / संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से कम हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- पाठ्यक्रम के अनुसार देय केवल अनुरक्षण भत्ता (Maintenance allowance)

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ई-मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- जाति प्रमाण-पत्र।
- आधार कार्ड की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं फीस की रसीद की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।

XII. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

शिक्षा को बढ़ावा देना।

पात्रता: -

- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र-छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।
- छात्र-छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
- राष्ट्रीय स्तर की परिशिष्ट-अ पर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय होगी।

- छात्र-छात्रा के माता-पिता / पति-पत्नी / संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 5.00 लाख से कम हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्कों (Non-Refundable fees) का आधा अर्थात 50 प्रतिशत।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ई-मित्र/कियोस्क के माध्यम से एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करें अथवा संबंधित जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्पर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- राष्ट्रीय स्तर की राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं फीस की रसीद की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।

XIII. विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना

योजना का उद्देश्य: -

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है।

लक्षित समूह या पात्रता –

1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. छात्र/छात्रा के अभिभावक / संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था / ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो।
4. छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।
5. आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
6. छात्र/छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

योजनान्तर्गत लाभ –

नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग-

सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-

1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
2. स्वनियोजित पिता/संरक्षक की आय हेतु शपथ पत्र अथवा नियोजित पिता / संरक्षक का नियोजक से प्राप्त आय प्रमाण पत्र।
3. पिछले वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियां।

2 शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं

I. आपकी बेटी योजना

योजना का उद्देश्य: -

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हैं उन बालिकाओं के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया।

पात्रता : -

- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं में पढ़ने वाली बीपीएल परिवार की बालिकाएं जिनकी स्कूल में 70 प्रतिशत तक की उपस्थिति हो एवं माता-पिता दोनों या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- कक्षा 1 से 8 तक ₹1100/- एवं 9 से 12 तक ₹1500/- वार्षिक।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से नियंत्रक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा कार्यालय।

आवश्यक दस्तावेज: -

- माता-पिता दोनों अथवा किसी एक के मृत्यु-प्रमाण-पत्र।
- विद्यालय में उपस्थिति का प्रत्येक वर्ष प्रधानाचार्य द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण-पत्र।
- बी.पी.एल कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति।
- बैंक खाता पास बुक की प्रति।
- दो फोटो।

II. कस्तूरबा गाँधी बालिका (आवासीय) विद्यालय योजना (KGBV)

योजना का उद्देश्य: -

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक में तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिर पर मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएँ उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6, 7 एवं 8) में निःशुल्क अध्ययन करती हैं। इन्हें अध्ययन के साथ-साथ समस्त सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

पात्रता: -

वंचित वर्गों की वह बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जा सकीं अथवा विद्यालय छोड़ने से जिन बालिकाओं की आयु अधिक हो चुकी है।

योजनान्तर्गत लाभ: -

अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की वह बालिकाएं जो उच्च प्राथमिक स्तर के अभाव वाले कठिन परिस्थितियों और दुर्गम आवास संस्थानों में रहते हुए किसी भी कारणवश (यथा-सामाजिक, आर्थिक पारिवारिक आदि), विद्यालय नहीं जा सकीं अथवा विद्यालय छोड़ने से जिन बालिकाओं की आयु अधिक हो चुकी है।

KGBV में देय निःशुल्क प्रावधान-

- सभी बालिकाओं को आवास।
- पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री।
- स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते-मोजे।
- दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा-साबुन, तेल, तोलिया, टूथ-पेस्ट, कंघा, चप्पल, सैनेटरी नैपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 50/- स्टाई फण्ड राशि भ्रमण अथवा अन्य निजी उपयोग हेतु।

KGBV में प्रदत्त सुविधाएँ-

- NIOS मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
- शैक्षणिक भ्रमण।
- खेलकूद प्रतियोगिताएँ।
- प्रतिमाह निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा दवाओं की सुविधा।
- शैक्षिक किशोरी मेले।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

संबंधित क्षेत्र के कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास अधीक्षक से संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज: -

जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं बी. पी. एल. कार्ड।

III. विदेश में अध्ययनरत योजना

योजना का उद्देश्य: -

बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य इस योजना का शुभारंभ किया गया।

पात्रता: -

- जिले में कक्षा 10 वीं में प्रथम तीन स्थान पर मैरिट में आने वाली बालिकाएं।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- कक्षा 10 वीं में प्रथम तीन स्थान पर मैरिट में आने वाली बालिकाओं के निःशुल्क विदेश अध्ययन हेतु संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

आवश्यक दस्तावेज: -

- बालिका के 2 फोटो
- राजस्थान में निवास संबंधी प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता पास बुक
- 10 वीं की अंक तालिका
- पासपोर्ट की प्रति एवं विदेश में किस कोर्स के लिए जाना चाहते है, का सम्पूर्ण विवरण

IV. इंस्पायर्ड अवार्ड योजना

योजना का उद्देश्य: -

सरकार द्वारा समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधीन संचालित विद्यालयों) अध्ययनरत छात्र- छात्राओं द्वारा नवाचारी विचार/ सृजनात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से मौलिक/ सृजनात्मक विचारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य इस योजना का शुभारंभ किया गया।

पात्रता: -

- राज्य के प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 06 से 10 (आयु वर्ग 10 से 15 वर्ष) में नियमित अध्ययनरत 2 से 3 सर्वश्रेष्ठ नवप्रवर्तन विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों का नॉमिनेशन E-MIAS पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अपलोड किए जाते है।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- भारत सरकार द्वारा ऐसे विद्यालय में चयनित विद्यार्थियों में से ₹ 10,000/- पुरस्कार एक बारीय राशि देय होगी।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन एवं चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज: -

- विद्यालय में उपस्थिति प्रधानाचार्य द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- मूल निवास एवं आधार कार्ड की प्रति।
- कक्षा जिसमें उत्तीर्ण होने की अंक तालिका की प्रति।
- बैंक खाता पास बुक की प्रति, दो फोटो।

V. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

योजना का उद्देश्य

- बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेंडर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 व 10 की पात्र/चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।
- आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक- बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक- बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

पात्रता

- कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं हेतु

- o ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 1 किमी की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 1 किमी से अधिक दूरी तक जाना पड़ता है।
- o ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 2 किमी से अधिक दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 2 किमी से अधिक दूर जाना पड़ता है।
- o मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है।

- कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतु
  - o ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किमी से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
  - o मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं , जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है।

योजनान्तर्गत लाभ

- राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से विद्यालय की दूरी 1 किमी से अधिक है, उन बालक / बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस के अनुसार 10 रुपये एवं सत्र पर्यंत (वार्षिक/ माह में अधिकतम स्वीकृत/ देय राशि प्रति विद्यार्थी) अधिकतम 3000 रुपये स्वीकृत है।
- राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है, उन बालक / बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस के अनुसार 15 रुपये एवं सत्र पर्यंत (वार्षिक/ माह में अधिकतम स्वीकृत/ देय राशि प्रति विद्यार्थी) अधिकतम 3000 रुपये स्वीकृत है।
- स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की कक्षा 6 से 8 की ऐसी बालिकाएं जिनके वास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है परंतु उसी पंचायत समिति में है, उन बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस के अनुसार 15 रुपये एवं सत्र पर्यंत (वार्षिक/ माह में अधिकतम स्वीकृत/ देय राशि प्रति विद्यार्थी) अधिकतम 3000 रुपये स्वीकृत है।
- राजकीय विद्यालय की कक्षा 9 से 10 की ऐसी बालिकाएं जिनके वास स्थान से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है, उन बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस के अनुसार 20 रुपये एवं सत्र पर्यंत (वार्षिक/ माह में अधिकतम स्वीकृत/ देय राशि प्रति विद्यार्थी) अधिकतम 5400 रुपये स्वीकृत है।
- स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की कक्षा 6 से 8 की ऐसी बालिकाएं जिनके वास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है परंतु उसी पंचायत समिति में हैं, उन बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस के अनुसार 20 रुपये एवं सत्र पर्यंत (वार्षिक/ माह में अधिकतम स्वीकृत/ देय राशि प्रति विद्यार्थी) अधिकतम 4500 रुपये स्वीकृत है।
- कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी एक योजना का लाभ ले सकती हैं।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग

- संबंधित विद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

आवश्यक दस्तावेज

- विद्यालय में उपस्थिति का प्रत्येक वर्ष प्रधानाचार्य द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण-पत्र।
- मूल निवास एवं आधार कार्ड की प्रति।
- बैंक खाता पास बुक की प्रति, दो फोटो।

VI. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

योजना का उद्देश्य: -

माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सभी वर्ग की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

पात्रता: -

- सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए जो कक्षा 10 वीं एवं 12वीं में जिले में प्रथम स्थान पर आयी हों।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- कक्षा 10 वीं के लिए ₹ 75,000/- एवं कक्षा 12 वीं के लिए ₹ 1,00,000/- पुरस्कार राशि।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय।

आवश्यक दस्तावेज: -

- 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिका की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।
- फोटो।

VII. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

योजना का उद्देश्य: -

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं को उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने उद्देश्य इस योजना का शुभारंभ किया गया।

लक्षित समूह या पात्रता: -

- राजकीय एवं निजी विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत बालिका जिसने कक्षा 12 वीं 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण की है।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- प्रत्येक बालिका को योजना के तहत ₹ 5000/- एक मुश्त राशि देय है।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग: -

- आवेदन जिले के संबंधित विद्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन एवं चैक भुगतान दिया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज:-

जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-

- विद्यालय में उपस्थिति प्रधानाचार्य द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- मूल निवास एवं आधार कार्ड की प्रति।
- विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रति।
- बैंक खाता पास बुक की प्रति, दो फोटो।

VIII. गार्गी पुरस्कार

योजना का उद्देश्य: -

योजना अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं प्रवेषिका परीक्षा में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा-11 व 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष राशि 3000/- रुपये एवं प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा-10 वीं की परीक्षा में 8 से 10 सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है।

लक्षित समूह या पात्रता: -

- समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों में कक्षा 10 में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- बालिकाओं को ₹ 3000/- प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए दिया जायेगा, ताकि बालिका कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में नियमित अध्ययन कर सके।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग-

- आवेदन संबंधित विद्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज-

जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-

- बालिका के 2 फोटो।
- राजस्थान में निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- बैंक खाता पास बुक।
- 10 वीं की अंक तालिका।

3 स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं

I. बालिका संबल योजना

योजना का उद्देश्य

राज्य में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने, बालिका शिक्षा में सुधार, आर्थिक संबल प्रदान करने, बालिका के भविष्य को सुरक्षित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत लाभार्थी बालिकाओं हेतु डाक विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली बचत योजनाओं एवं सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश किया जाएगा।

लक्षित समूह या पात्रता -

- पुत्र रहित दम्पत्तियों द्वारा जो एक या दो पुत्रियों के जन्म के पश्चात् नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर।
- ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/ पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर पुन: विवाह करने के स्थिति में उसके पूर्व जीवनसाथी से एक बेटा है एवं जन्मदाता माता/पिता के साथ रहता है, दम्पत्ति पुनर्विवाह के बाद नए माता/पिता से एक या दो पुत्रियाँ हैं तो इस योजना का लाभ देय नहीं होगा परंतु पिछले विवाह से हुए बेटे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोद या अपना लिया जाता है या उसके पिछले परिवार (जैसे दादा/दादी, चाचा, मामा आदि) के अन्य सदस्यों द्वारा पालन पोषण किया जाता है एवं पुनर्विवाह के बात वह पुत्र परिवार में शामिल नहीं होता है, नए परिवार से एक या दो पुत्रियाँ हैं तो उनको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।
- ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/ पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर पुनर्विवाह करने की स्थिति में उसके पूर्व जीवनसाथी से पुत्री है और पुनर्विवाह करने के पश्चात दूसरे जीवनसाथी से एक पुत्री है तो ऐसी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

योजनान्तर्गत लाभ -

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/ अभिभावक को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता मिलती है- निम्नानुसार होगा :-

- बालिका की आयु 0 से 18 वर्ष पूर्ण होने पर ₹ 76990/-।
- 1 से 17 वर्ष के बाद ₹ 68660/-।
- 2 से 16 वर्ष के बाद ₹ 61304/-।
- 3 से 15 वर्ष के बाद ₹ 54736/-।
- 4 से 14 वर्ष के बाद ₹ 48871/-।
- 5 से 13 वर्ष के बाद ₹ 43635/- अलग-अलग वर्ष आवेदन करने के पश्चात् दिये जाते है।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग एवं आवश्यक दस्तावेज-

- आवेदन जिले के उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन आवेदन दिया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- पुत्र नहीं होने का प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव, नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति और दो रंगीन फोटो।

II. प्रेरणा योजना

योजना का उद्देश्य

छोटी उम्र में शादी करने की विचार धारा को तोड़ने, जल्दी बच्चा, एवं बार-बार बच्चे पैदा करने पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया।

लक्षित समूह या पात्रता -

- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नियमित अध्ययनरत विकलांग (निःशक्त) बालिका।

योजनान्तर्गत लाभ -

- प्रत्येक बालिका को योजना के तहत ₹ 2000/- एक मुश्त राशि प्रतिवर्ष देय है।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग-

- आवेदन जिले के संबंधित विद्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन एवं चैक भुगतान दिया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-

- विद्यालय में उपस्थिति प्रधानाचार्य द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- मूल निवास एवं आधार कार्ड की प्रति।
- विकलांगता प्रमाण-पत्र की प्रति।
- बैंक खाता पास बुक की प्रति, दो फोटो।

III. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर. बी. एस. के.)

योजना का उद्देश्य: -

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारम्भावस्था में उपचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में व्याप्त 29 चिन्हित स्वास्थ्य स्थितियों की शीघ्र जांच और उपचार करना है।

पात्रता: -

- इस कार्यक्रम में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया है।
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आंगनबाड़ी केन्द्रों में, वर्ष में दो बार जांच और मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा स्कूली बच्चों की वर्ष में एक बार जांच इस कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है।

जन्म से 18 वर्ष तक बच्चों में होने वाले विकारों को 4 वर्गों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है:-

जन्म दोष	कमियां	बाल्यावस्था की बीमारियाँ	विकासात्मक विलंब एवं अशक्तता
न्यूरल ट्यूब की खराबी	रक्तलाप, विशेषकर गंभीर रक्तलाप	त्वचा की बीमारी (खुजली, फफूंदीय संक्रमण एवं एक्जिमा)	दृष्टि क्षीणता
डाउनसिंड्रोम	विटामिन ए की कमी	मध्यकर्णशोथ	श्रवण दुर्बलता
फटा होंठ एवं तालू/सिर्फ फटा तालू	विटामिन डी की कमी	आमवाती हृदय रोग	न्यूरोमोटर की खराबी
मुद्गरपाद (अंदर की ओर मुड़ी हुई पैर की उँगलियाँ)	गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण	प्रतिक्रियाशील हवा से होने वाली बीमारियां	ज्ञान बोध का विलंब
असामान्य आकार का कूल्हा	घेंघा	दांत क्षय	भाषा विलंब
जन्मजात मोतियाबिंद		एठन	व्यवहारगत विसंगति
जन्मजात बहरापन			सीखने का क्रम भंग
जन्मजात बहरापन			ध्यान की कमी, अति क्रियाशील होने का विकार
जन्मजात हृदय रोग			
असामयिक दृष्टिपटल विकृति			

कार्यान्वयन प्रक्रिया: -

जांच: -

- मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा जन स्वास्थ्य केंद्रों पर नवजात शिशु जांच
- आशा सहयोगिनी द्वारा घर जाकर जन्म से 6 सप्ताह तक के बच्चों की जांच
- मोबाइल स्वास्थ्य दलों द्वारा 6 महीने से 18 वर्ष तक के बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में जांच

रेफरल: -

- जिला अस्पताल में डी. ई. आई. सी. बच्चों के भविष्य में किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी आंकलन तथा पुष्टि एवं उचित स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल श्रृंखला के रूप में कार्य करता है।

प्रबंधन: -

- जिले में डी.ई.आई.सी. या उच्च स्तर की तृतीयक स्तर पर पूर्व चिह्नित स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शल्य चिकित्सा सहित निशुल्क सेवाएं।

4 बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं

I. मिशन वात्सल्य योजना

बच्चों के विकास के विभिन्न आयु और चरणों के दौरान संवेदनशील, सहायक और समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। यह बच्चों की कल्याण और संरक्षण समितियों के संस्थागत ढांचे और देश के सभी जिलों में वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करके किया जाने का उद्देश्य है। जबकि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का समाधान वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं द्वारा किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजट के साथ समेकित रूप से सामुदायिक स्तर पर बच्चों के कल्याण और संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर समान ध्यान दिया जाना चाहिए।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत दो तरह की सेवाएं बच्चों को प्रदान की गई है

❖ **संस्थागत देखरेख सेवाएं (बाल देखरेख संस्थान) –**
बाल देखभाल संस्थान बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता (CNCP) के लिए:

- **बाल गृह -** बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए संस्थान स्थापित या समर्थित किए जाएंगे, ताकि उनकी देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास हो सके। राज्य/जिले द्वारा बच्चों की आयु, लिंग/ट्रांसजेंडर या विशेष आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग घर स्थापित या समर्थित किए जा सकते हैं।
- **ओपन शेल्टर -** राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत ओपन शेल्टर को पलायन करने वाले बच्चों, गुमशुदा बच्चों, तस्करी के शिकार बच्चों, कामकाजी बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों, बाल भिक्षुकों, नशे के आदी बच्चों, किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों, अवैध क्षेत्रों/झुग्गियों में रहने वाले बच्चों, प्रवासी आबादी के बच्चों, सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के बच्चों और अन्य कमजोर समूहों के बच्चों की देखभाल के लिए सहायता दी जाएगी। इन शेल्टरों का उपयोग बच्चों को कठिन परिस्थितियों में शिक्षा, परामर्श और जीवन कौशल प्रदान करने के लिए किया जाएगा, ताकि उन्हें सड़कों पर जीवन जीने से रोका जा सके। ओपन शेल्टर बच्चों के लिए स्थायी आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहीं होते, बल्कि मौजूदा संस्थागत देखभाल सुविधाओं को पूरक करने के लिए होते हैं।

- **विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियां -** राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAA) को छह वर्ष से कम आयु के अनाथ, त्यागे गए और समर्पित बच्चों की देखभाल करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जो जिले की आवश्यकता के आकलन के आधार पर होगी। SAA उन बच्चों के दत्तक ग्रहण की सुविधा प्रदान करेगी जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। SAA जेल परिसर के पास या उसके भीतर स्थापित की जा सकती है, ताकि कैदियों के छोटे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।

❖ **बाल देखभाल संस्थान विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए बाल देखभाल संस्थान (CCL) के लिए:**

- **आब्ज़र्वेशन होम्स-** किसी बच्चे की अस्थायी स्वीकृति, देखभाल और पुनर्वास के लिए स्थापित या समर्थित किया जाएगा, जिसे कानून के उल्लंघन का आरोपित माना जाता है, जब तक कि बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत कोई जांच चल रही है।
- **स्पेशल होम्स -** ऐसे होम्स की स्थापना की जाएगी ताकि उन बच्चों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास और सुरक्षा प्रदान की जा सके, जिन्हें अपराधी पाया गया है और जिन्हें बाल न्यायालय (JJB) के आदेश द्वारा वहां रखा गया है।
- **प्लेस ऑफ सैफ्टी -** सुरक्षा स्थल की स्थापना की जाएगी ताकि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को होस्ट किया जा सके, जो गंभीर अपराध के आरोपी या दोषी हैं।

❖ **गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं**

- **स्पॉन्सरशिप -** वित्तीय सहायता से कमजोर बच्चों को उनके विस्तारित परिवारों/जैविक संबंधियों के साथ रहने पर उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए सहायता दी जा सकती है।
- **फॉस्टर केयर -** बच्चे की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की ज़िम्मेदारी एक गैर-संबंधित परिवार द्वारा उठाई जाती है। बच्चे की परवरिश के लिए जैविक रूप से असंबंधित पालक माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **अडाप्शन -** उन बच्चों के लिए परिवार ढूंढना जो कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र पाए गए हैं। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAA) गोद लेने के कार्यक्रम को सुगम बनाएंगी।
- **आफ्टर केयर -** जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखभाल संस्थान (CCI) छोड़ रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसी सहायता 18 वर्ष की आयु से लेकर 21 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

लक्षित समूह या पात्रता -

- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि से संघर्षरत बालक।

योजनान्तर्गत लाभ –

स्पॉन्सरशिप भत्ता संबंधी वित्तीय प्रावधान-

- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मद 'प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख कोष से संबन्धित बालक / बालिका को स्पॉन्सरशिप भत्ता जारी किया जायेगा।
- इकाई द्वारा स्पॉन्सरशिप हेतु स्वीकृत प्रत्येक बालक / बालिका को स्पॉन्सरशिप भत्ते के रूप में राशि ₹4,000/- प्रतिमाह जारी की जायेगी।
- इकाई द्वारा स्पॉन्सरशिप भत्ता संबंधित बालक/बालिका या उसके एवं अभिभावक के संयुक्त बैंक बचत खाते में मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा। इसके अभाव में अभिभावक (माता) के बैंक बचत खाते में स्पॉन्सरशिप भत्ता जारी किया जा सकेगा।

- स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के तहत् बालक / बालिका को निर्धारित अवधि अथवा संबन्धित बालक/बालिका की जैविक आयु 18 वर्ष पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक स्पॉन्सरशिप सहायता प्रदान की जायेगी।
- इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बैंक बचत खाते में स्पॉन्सरशिप भत्ता जमा कराया जायेगा।

ग्रुप फोस्टर केयर वित्तीय प्रावधान -

फैसिलिटी के संचालन हेतु अधिकृत स्वयंसेवी संस्था को पोष्य बच्चों के बेहतर पालन-पोषण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निम्नानुसार निर्धारित पालन-पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जायेगा-

1. **रख-रखाव मद -** पोष्य बालक/बालिका के पोषण, वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि ₹4,000/- प्रति माह प्रति बालक।
2. **मानदेय/पारिश्रमिक मद -** पोष्य बालक/बालिकाओं की देखभाल के लिये 02 देखभाल कर्ता के मानदेय/पारिश्रमिक हेतु राशि ₹20,000/- प्रति देखभाल कर्ता प्रति माह।
3. **विविध मद -** उपयुक्त सुविधा के संचालन से जुड़े अन्य व्यय हेतु राशि ₹10,000/- प्रति माह।

व्यक्तिगत पालन-पोषण देखरेख हेतु पालन-पोषण देखरेख भत्ता -

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मद 'प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखरेख कोष से पोष्य बच्चे के बेहतर पालन- पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्धारित पालन-पोषण देखरेख भत्ता प्रदान किया जा सकेगा।
2. इकाई द्वारा पोषक परिवार को निर्धारित वार्षिक आय राशि ₹8,00,000/- से कम होने पर पालन-पोषण देखरेख भत्ते के रूप में राशि ₹4,000/- प्रतिमाह प्रति बच्चे की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
3. व्यक्तिगत पालन-पोषण देखरेख के तहत पोषक परिवार को निर्धारित पालन-पोषण देखरेख अवधि अथवा संबन्धित बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण करने, जो भी पहले हो तक पालन-पोषण देखरेख भत्ता प्रदान किया जायेगा।
4. इकाई द्वारा पालन-पोषण देखरेख भत्ता पोष्य बच्चे या उसके एवं अभिभावक के संयुक्त बैंक बचत खाते में मासिक स्तर पर जारी किया जायेगा। इसके अभाव में अभिभावक (माता) बैंक बचत खाते में पालन-पोषण देखरेख भत्ता जारी किया जा सकेगा।
5. इकाई द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बैंक बचत खाते में पालन-पोषण देखरेख भत्ता जमा कराया।

पश्चातवर्ती देखरेख (आफ्टर केयर) कार्यक्रम :

- कार्यक्रम में प्रति बच्चा प्रति माह ₹4,000/- की वित्तीय सहायता बाल देखभाल संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी, जो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत बाद की देखभाल योजना (IAP) को लागू करने के लिए रुचि रखते हैं, ताकि खाद्य, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल और आश्रय सहित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके; आयु के अनुसार और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, भत्ते और युवा व्यक्ति की अन्य आवश्यकताएँ। बाद की देखभाल का मुख्य फोकस युवा व्यक्तियों को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्राप्त करने में मदद करना और उन्हें समाज में जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाना होगा।

II. बाल मित्र योजना

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत हिंसा/दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिये प्रत्येक स्तर पर उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने तथा सहज प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया गया है।

2. लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक-बालिका एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक स्तर पर पीड़ित बच्चे को सहयोग प्रदान करने के लिये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहायक व्यक्ति (Support Person) की व्यवस्था स्थापित की गई है।
3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहायक व्यक्ति द्वारा लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक-बालिका, उसके परिवार एवं विभिन्न प्राधिकारियों के बीच मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए पीड़ित बच्चों के लिये न्याय एवं समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ाव हेतु संरक्षणात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है।

लक्षित समूह या पात्रता -

लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक-बालिका।

योजनान्तर्गत लाभ -

1. सहायक व्यक्ति द्वारा प्रकरण के शुरूआत से अन्त तक बच्चे को सहायक सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें बच्चे के लिये चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान का निर्माण एवं क्रियान्वयन शामिल होगा।
2. पीड़ित बच्चे एवं उसके अभिभावक (बच्चा जिस पर विश्वास करता है सहित) को उपलब्ध आपातकालीन एवं संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता से अवगत करायेगा।
3. पीड़ित बच्चे एवं उसके अभिभावक को अधिनियम एवं अन्य विधियों के अधीन उपलब्ध हकदारियों, सेवाओं एवं प्रकरण में विभिन्न स्तर पर होने वाली कार्यवाही, उसकी प्रगति एवं अद्यतनः स्थिति से अवगत करायेगा।
4. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस थाना, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरण में अनुसंधान / कार्यवाही / जांच/विचारण/चिकित्सा परीक्षण के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहेगा। इस प्रयोजन संबंधित प्राधिकारियों / एजेंसियों के संपर्क में रहेगा तथा उपस्थिति के संबंध में संभावित निर्धारित दिवसों की जानकारी से बच्चे एवं उसके अभिभावक को अवगत करायेगा।
5. पीड़ित बच्चे को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड परिसर एवं कार्य-प्रणाली से परिचित करायेगा तथा न्यायिक कार्यवाही/विचारण के दौरान बच्चे के साथ मौजूद रहेगा।
6. पीड़ित बच्चे के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार परामर्शदाता, दुभाषियों, विशेष शिक्षक की सेवाओं की उपलब्धता हेतु समन्वय सुनिश्चित करेगा।

5

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना

I. मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

i. राजस्थान स्टेट - सर्टिफिकेट इन इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी - (RS-CIT)

योजना का उद्देश्य: -

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में महिलाओं को कंप्युटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कंप्युटर का प्रशिक्षण दिलवाए जाने का प्रावधान किया गया है। समाज के सभी वर्गों की महिलाओं यथा गृहिणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कंप्युटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से दिलवाया जाएगा। RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी) प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है।

- प्रशिक्षण RS-CIT 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16-40 वर्ष आयु वर्ग की 10 वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।
- स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।

लक्षित समूह या पात्रता: -

जिसमें 16-40 आयु वर्ग की 10 वीं पास बालिका एवं महिला पात्र है।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग: -

सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित जिले के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जिसमें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज: -

जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- उम्र संबंधी दस्तावेज।
- आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड की प्रति।
- 10 वीं एवं 5 वीं पास की अंक तालिका प्रति।

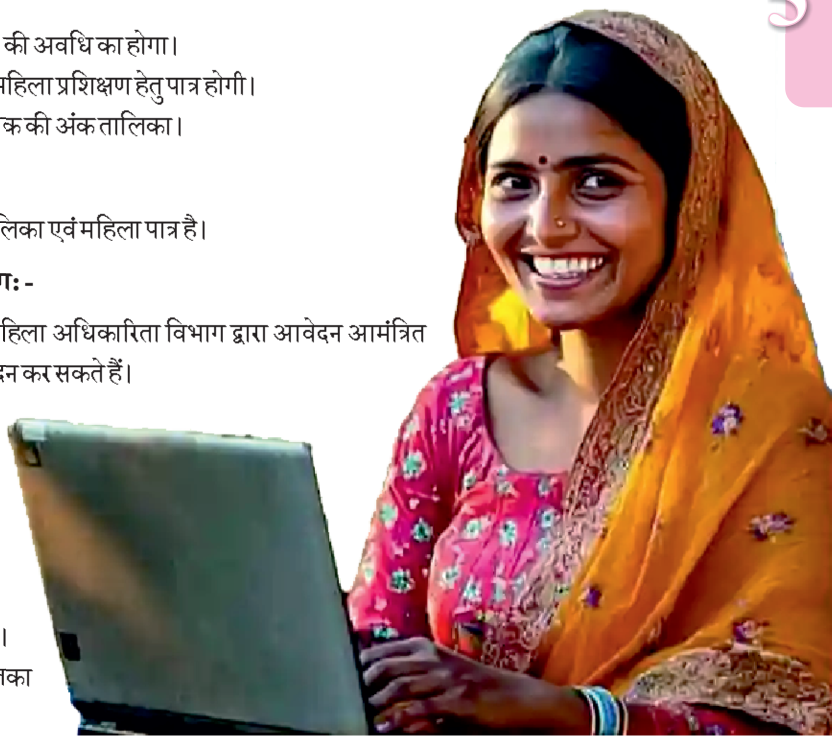

- विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु- प्रमाण पत्र/ तालकशुदा के प्रकरण में तलकनामां / परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपत पत्र।
- साथिन / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज।
- दो रंगीन फोटो।

I. मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

ii. राजस्थान स्टेट - सर्टिफिकेट इन फाइनैन्शिअल अकाउंटिंग - (RS-CFA)

योजना का उद्देश्य: -

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में बिलिंग से लेकर अकाउन्टिंग तक का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से हो रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् इसमें उतरोत्तर वृद्धि हुई है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चूंकि जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात् व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन के जानकारों की मांग बढ़ी है। अतः प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी महिला प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यक्रम एवं पात्रता: -

योजना के अंतर्गत RKCL के माध्यम से RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्स का संक्षिप्त विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है-

कोर्स का संक्षिप्त विवरण: -

- कम्प्यूटर पर अकाउन्टिंग का ज्ञान (Using Tally Software)
- सैद्धान्तिक एवं कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (CBT)
- Tally ERP 9 वर्जन आधारित कोर्स

प्रशिक्षण अवधि: -

100 घंटे (2 घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन)

आयु: -

16-40 वर्ष (प्रशिक्षणार्थी जिस वर्ष प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है उस वर्ष की 1 जनवरी को वह उपरोक्तानुसार आयु सीमा में होना आवश्यक है)।

शैक्षणिक योग्यता: -

12वीं पास बालिकाएं एवं महिलाएं ।

आवेदन प्रक्रिया: -

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा RS-CFA. कोर्स के लिए आवेदन किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय

वेबसाइट प्रपत्र www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkel.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों को पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

चयन प्रक्रिया: -

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उपनिदेशक / सहायक निदेशक, के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायेगी। उपनिदेशक / सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग लॉगिन में उपलब्ध वरीयता सूची की जांच कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑनलाईन चयन करेंगे उक्त हेतु RKCL के प्रतिनिधि का सहयोग लिया जा सकता है। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जाएगा-

1. विधवा / तलाक शुदा/परित्यक्ता
2. हिंसा से पीड़ित महिला।
3. कुल आवंटित सीटों में 18% अनुसूचित जाति एवं 14% अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे।

प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान शैक्षिणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज: -

निम्नलिखित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं-

1) आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
2) न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका। इससे उच्च शिक्षित होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
3) विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाक शुदा के प्रकरण में तलाक नामा / परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
4) हिंसा से पीड़ित महिला के प्रकरण में एफ.आई.आर की प्रति घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट / महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।
5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण-पत्र।
   नोट:- क्रम संख्या (1) एवं (2) पर वर्णित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सभी श्रेणियों के आवेदकों को लगाना आवश्यक है।

I. मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

iii. राजस्थान स्टेट - सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट- (RS-CSEP)

योजना का उद्देश्य: -

महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चूंकि वर्तमान रोजगार हेतु अभ्यर्थी को स्पोकन इंग्लिश का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। अतः महिलाओं को स्पोकन इंग्लिश तथा व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत RKCL के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

पात्रता: -

कोर्स का संक्षिप्त विवरण : -

- स्पोकन इंग्लिश का ज्ञान
- व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि : -

- 130 घंटे (2 घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन)

आयु : -

16-45 वर्ष (प्रशिक्षणार्थी जिस वर्ष प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है उस वर्ष की 1 जनवरी को वह उपरोक्तानुसार आयु सीमा में होना आवश्यक है)।

शैक्षणिक योग्यता -

12 वीं पास महिला/बालिका

आवेदन कैसे करें?: -

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा RS-CFA कोर्स के लिए आवेदन किया जायेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट प्रपत्र www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkel.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

चयन प्रक्रिया: -

योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगें तथा निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता लॉगिन में उपलब्ध वरीयता सूची की जांच कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन करेंगे उक्त हेतु RKCL के प्रतिनिधि का सहयोग लिया जा सकता है। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जाएगा : -

1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता
2. हिंसा से पीड़ित महिला।
3. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है।
4. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है।
5. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है।

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् शेष रही सीटों हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांक की स्थिति में अधिक उम्र वाले वाले प्रशिक्षणार्थीयों को वरीयता दी जाएगी। आवंटित सीटों में से 18

प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सम्बन्धित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जाएगा।

योजनान्तर्गत आवंटित वार्षिक लक्ष्यों की 30 प्रतिशत सीटों पर प्रशिक्षण बैक टू वर्क योजना के तहत् पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों को करवाये जायेंगे। इस हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सूची पृथक से RKCL को उपलब्ध करवाई जायेगी।

आवश्यक दस्तावेज: -

निम्नलिखित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं : -

1 आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।

2 न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका। इससे उच्च शिक्षित होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।

3 विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाक शुदा के प्रकरण में तलाकनामा/परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।

4 हिंसा से पीड़ित महिला के प्रकरण में एफ.आई.आर. की प्रति घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र/अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।

5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण-पत्र।

नोट:- क्रम संख्या (1) एवं (2) पर वर्णित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सभी श्रेणियों के आवेदकों को लगाना आवश्यक है।

II. कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना

योजना का उद्देश्य: -

विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के Field functionaries के माध्यम से प्रोत्साहित करवाकर उन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा ताकि उनका क्षमता वर्धन हो सके तथा उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके।

योजना का क्रियान्वयन एवं प्रक्रिया : -

विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण करवाये जाने पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा उक्त श्रेणी की महिलाओं का प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा उक्त राशि का पुनर्भरण/भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को किया जायेगा।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक शैक्षणिक वर्ष मे दो सार्वजनिक परीक्षाएँ (मार्च-मई और अक्टूबर नवम्बर) आयोजित करता है व एक बार पंजीकृत होने के पश्चात 5 वर्ष के समय में परीक्षा के 9 के अवसर देता है। विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी या किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं को स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के Field functionaries एवं मानदेय कर्मियों के माध्यम से प्रेरित किया जायेगा।

भुगतान प्रक्रिया: -

महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पोर्टल पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु पंजीकरण करने वाली बालिकाओं के प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा किया जायेगा। पंजीकृत महिलायें जिनसे प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है की सूची राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा निदेशालय को शुल्क के पुनर्भरण हेतु दी जायेगी।

निर्बन्धन एवं शर्तें: -

1. पंजीकरण हेतु आवेदन में विलम्ब के शुल्क का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।
2. अधिकतम दो बार पंजीकरण हेतु ही प्रवेश शुल्क का पुनर्भरण किया जायेगा।
3. प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश/आंशिक प्रवेश हेतु पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण शुल्क तथा सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा शुल्क का पुनर्भरण किया जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।

III. लाडो प्रोत्साहन योजना

योजना का उद्देश्य: -

- राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के पालन-पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
- बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।

योजना का विवरण :-

वित्त एवं विनियोग चर्चा पर दिनांक 12.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए प्रत्युत्तर के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रुपये की राशि को बढ़ा कर 1.50 लाख किया गया है।

- बालिका के जन्म पर ₹1.50 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा।
- सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
- बालिका के व्यस्क होने तक पहली छः किश्तें बालिका के माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरण की जायेगी।
- राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जायेगा एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

पात्रता: -

- राजस्थान की मूल निवासी प्रसुताओं के लिए।
- राज्य के बाहर की प्रसुताओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नहीं होगें।
- राजकीय चिकित्सा संस्थान /जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र / अन्य उपलब्ध विकल्पों आंगनबाड़ी केन्द्र / स्वास्थ्य केन्द्र आदि के माध्यम से।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- महिला एवं बाल विकास विभाग।

आवश्यक दस्तावेज: -

- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति।
- प्रसव के बाद प्रसव की रसीद की प्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति।
- फोटो।

IV. कालीबाई भील उड़ान योजना

योजना का उद्देश्य: -

1. बालिकाओं और महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी गरिमा, सुरक्षा एवं माहवारी से संबंधित जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाना एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना।
2. विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ घूंघट प्रथा है उन महिलाओं को जागरूक करना ताकि महिलायें अपनी माहवारी संबंधित समस्याओं पर निःसंकोच बात कर निदान प्राप्त कर सकें और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करें।
3. राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना।
4. स्वयं सहायता समूहों को सेनेटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा क्रय एवं वितरण की योजना बनाना।
5. महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन देना।

पात्रता: -

- प्रदेश में निवासरत 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की समस्त बालिकाएं एवं महिलाएं।

सेनेटरी नैपकिन की मांग एवं आपूर्ति: -

सेनेटरी नैपकिन की मांग एवं आपूर्ति निःशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान में प्रदेश की समस्त महिलाओं और बालिकाओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। सेनेटरी नैपकिन की मांग एवं उपलब्धता निम्न प्रकार होगी:-

- माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय- पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय एवं निजी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जायेगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी सभी विद्यालयों की मांग को एकत्रित कर राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी को भेजेंगे। नोडल अधिकारी मांग निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित करते हुये प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता को देंगे।
- कॉलेज- आयुक्त, कॉलेज शिक्षा अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में मांग निदेशालय महिला अधिकारिता को प्रेषित करेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से अपनी समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकिन की मांग निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित करते हुये प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता को देंगे।
- विश्वविद्यालय- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में मांग निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित करते हुये प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता को देंगे।
- जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के विद्यालय एवं छात्रावास - आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से अपनी शिक्षण संस्थाओं, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में मांग निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित करते हुये प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता को देंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से अपने आवासीय विद्यालयों/सदनों की छात्राओं/आवासनियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में मांग निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित करते हुये प्रति निदेशालय महिला अधिकारिता को देंगे।
- आंगनवाड़ी केंद्र - निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ियों में ऐसी बालिकाएँ व महिलाएं जो किसी भी शिक्षण संस्थान से नहीं जुड़ी हुई है, उन्हें निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन आंगनबाड़ी केन्द्र से उपलब्ध कराने के लिए मांग निदेशक, जन स्वास्थ्य को प्रेषित करते हुये निदेशालय महिला अधिकारिता को प्रेषित करेंगे।
- निजी शिक्षण तथा अन्य संस्थाएँ - निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण करने हेतु संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा उपरान्त सेनेटरी नैपकिन मांग एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। जिस पर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

आवेदन कैसे करें ?: -

- इस योजना के लिए किसी प्रकार के आवेदन की जरूरत नहीं है, सेनेटरी नैपकिन की निःशुल्क वितरण की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र की होगी।

आवश्यक दस्तावेज: -

- इस योजना के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

6 गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना

I. राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना

योजना का उद्देश्य: -

पीड़ित व्यक्ति को राहत दिलाने एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए।

पात्रता: -

- ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर किए गए अपराध से उनके कुटुम्ब की आय को हानि पहुंची है और बिना आर्थिक मदद के उनका गुजारा कठिन हो गया है अथवा ऐसे व्यक्ति जो अपनी आय से अधिक मानसिक / शारीरिक क्षति के इलाज में खर्च कर चुके हैं।
- ऐसे घृणित अपराधों के पीड़ित जिनमें अपराधी पकड़ा नहीं गया है फिर विचारण के बाद उसे दंडित नहीं किया गया है, परंतु जहां पीड़ित व्यक्ति ज्ञात है. वह अपने शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वास के लिए प्रतिकार प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकते है।
- ऐसे अपराधों में जहां कि आरोपी पकड़ा नहीं गया है या अज्ञात है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को ज्ञात है की वह पुनर्वास के लिए आवेदन कर सकता है।
- जहां पीड़ित या दावेदार आश्रित बिना किसी अयुक्तियुक्त देरी के क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट करता है, परंतु जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी इस देरी को माफ कर देता है, तो वह प्रतिकार के लिए आवेदन कर सकता है। (प्रतिकर के लिए दावा अपराध होने की तारीख से एक साल के भीतर करने का प्रावधान है।)
- ऐसे पीड़ित या दावेदार व्यक्ति जो मामले की सुनवाई व विचारण के दौरान पुलिस और अभियोजन की मदद करते हैं।

योजनान्तर्गत लाभ: -

- पीड़ित व्यक्ति के जीवन हानि पर ₹ 2 लाख।
- किसी अंग या शरीर के भाग की हानि के परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता हो गई हो तो 1 लाख रुपये।
- किसी अंग या शरीर के भाग की हानि के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम विकलांगता हो गई हो तो ₹ 50 हजार।
- पुनर्वास के लिए ₹ 1 लाख।
- किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत विकलांगता हो गई हो तो ₹ 25,000/-
- मानव दुर्व्यापार जैसे मामलों में जिसमें महिलाओं और बाल

पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या क्षति हुई हो तो ₹ 25,000/-

- बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति पर ₹ 20,000/-
- बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति पर ₹ 20,000/-
- तेजाब द्वारा सिर या चेहरे की स्थायी विदूषिता पर ₹ 2 लाख।

आवेदन कहां किया जाये/नोडल विभाग: -

- अपराध के पीड़ित या दावेदार दो मंचों पर आवेदन कर सकते है।
- धारा 357 (क) की उपधारा 2 व 3 के तहत जिस संबंधित न्यायालय में उनका मुकदमा लंबित है, प्रतिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त न्यायालय ऐसे आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भेजेगा।
- धारा 357 (क) की उपधारा 4 के तहत अगर कोई मुकदमा लंबित नहीं है वहां सीधे जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, सादे कागज पर अर्जी दी जा सकती है। आवेदन मिलने पर प्राधिकरण मामले की जाँच करेगा और रिपोर्ट किए गए आपराधिक क्रियाकलाप ये पीड़ित या दावेदार को हुई हानि का सत्यापन करेगा और कार्रवाई पूरी कर दो माह में प्रतिकार दिया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज: -

- प्रतिकर सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र।
- न्यायालय में मामले के विचारण या अंतिम आदेश की प्रति-लिपि की प्रति।
- प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रति।
- जिस भी प्रकार की क्षति हुई है उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति।

7 श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना

I. शुभ शक्ति योजना

योजना का उद्देश्य: -

इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारियों की वयस्क ओर अविवाहिता पुत्रियों अथवा अविवाहित महिला हिताधिकारी को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध करना है।

लक्षित समूह या पात्रता -

- लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी / निर्माण श्रमिक हों।
- हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- महिला हिताधिकारी अविवाहित हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो।
- हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
- हिताधिकारी की पुत्री / महिला हिताधिकारी के नाम से बचत खाता हो।
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो।
- प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियंता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राज-पत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी / पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा।
- योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।

योजनान्तर्गत लाभ -

- पात्र वर्ग की महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को ₹ 55,000 /- सहायता राशि देय होगा।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग-

- सहायता/अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित जिले के श्रम आयुक्त कार्यालय में विवाह होने की स्थिति के 6 माह के भीतर किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-

- हिताधिकारी के पंजीयन परिचय -पत्र की प्रति।
- महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी कोड अंकित हो)
- श्रमिक कार्ड की प्रति।
- आधार कार्ड की प्रति।
- नगर पार्षद या वार्ड सदस्य या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक की प्रति एवं 2 रंगीन फोटो।

II. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

योजना का उद्देश्य: -

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना प्रारूप के अनुसार कक्षा 6 से लेकर उच्च कक्षा (आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन) तक पढ़ने वाले बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

लक्षित समूह या पात्रता: –

1. लाभार्थी को बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
2. लाभार्थी का पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होगा।
3. लाभार्थी के अधिकतम दो बच्चे या एक बच्चा और पत्नी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालांकि, यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो पति और पत्नी के अधिकतम दो बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। हालांकि, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं होगी।
4. छात्र को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल या कॉलेज में कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
5. छात्र को राज्य में संचालित सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
6. नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से 12वीं की परीक्षा में 75% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य है। डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा (जिसमें चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य व्यावसायिक परीक्षाएं शामिल हैं) में 60% या उससे अधिक अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य है।

7. छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थी की पत्नी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे किसी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
8. छात्रवृत्ति केवल किसी वर्ष की संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही देय होगी।
9. छात्र केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान खुलने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश लेने के बाद ही छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। हालांकि, 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में अगली कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक नहीं होगा।
10. जो लाभार्थी लगातार एक वर्ष की अवधि तक अंशदान जमा नहीं करता है, वह लाभार्थी नहीं माना जाएगा। इसलिए, ऐसे निर्माण श्रमिक का पुत्र/पुत्री/पत्नी, जो अंशदान जमा करने में विफल रहता है, योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, उपरोक्त अनुभाग और नियम के प्रावधान के तहत लाभार्थी की पुनः बहाली की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

योजनान्तर्गत लाभः –

आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्र एवं छात्राओं को निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायेंगी:-

1. कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 8,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 9,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
2. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 9,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 10,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
3. आईटीआई में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 9,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 10,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
4. डिप्लोमा में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 10,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 11,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
5. स्नातक (सामान्य) में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 13,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 15,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
6. स्नातक (व्यावसायिक) में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 18,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 20,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
7. स्नातकोत्तर (सामान्य) में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 15,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 17,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।
8. स्नातकोत्तर (व्यावसायिक) में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रति वर्ष ₹ 23,000/- एवं विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को ₹ 25,000 /- प्रति वर्ष की छात्रवृति दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत लाभार्थी मेधावी विद्यार्थियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:-

1. कक्षा 8वीं से 10वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 4,000/- नगद पुरस्कार।
2. कक्षा 11वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 6,000/- नगद पुरस्कार।
3. डिप्लोमा में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 10,000/- नगद पुरस्कार।
4. स्नातक में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 8,000/- नगद पुरस्कार।
5. स्नातकोत्तर में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 12,000/- नगद पुरस्कार।

6. स्नातक (व्यावसायिक) में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 25,000/- नगद पुरस्कार।
7. स्नातकोत्तर (व्यावसायिक) में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को ₹ 35,000/- नगद पुरस्कार।

आवेदन कहां किया जाये/ नोडल विभाग: -

- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना आवेदन पत्र को श्रम विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति/ पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज: -

1. लाभार्थी के पंजीकरण पहचान पत्र की प्रति।
2. लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (जिसमें लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो।
3. लाभार्थी के आधार कर एवं भामाशाह कार्ड की प्रतियां।
4. जिस कक्षा या पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृति मांगी जा रही है, उसकी अंक तालिका की स्व-सत्यापित प्रति।
5. शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा फार्म के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना आवश्यक है।

बाल संदर्भ केन्द्र
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान) – 302017

दूरभाष : +91-141-2706556, 2706268, 2715219

वेबसाईट : hcmripa.rajasthan.gov.in • www.crc-hcmripa.in

ईमेल : crc.cmsripa@gmail.com • crc.hcmripa@rajasthan.gov.in